

कार्यालय अधिष्ठाता

छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

E-mail – deanmedicalcollegehindwara@gmail.com

क्रमांक/स्था./राज/2020/ 8103

छिन्दवाड़ा दिनांक – 15/04/2021

वॉक इन इंटरव्यूह कोविड-19 के तहत अस्थाई नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म.प्र के निर्देशानुसार COVID-19 (नोबेल कोरोना वायरस) महामारी से बचाव एवं RT-PCR लैब एवं कोविड वार्ड हेतु मानव संसाधन की आवश्यकता है। जिस हेतु अस्थाई पदों की पूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन/वॉक इन इंटरव्यूह दिनांक 15.04.2021 से समय सुबह 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक निरंतर चयन किया जावेगा, आवेदन एवं इंटरव्यूह की अंतिम तिथि 29.04.2021 समय सायं 5:30 बजे तक निहित की जाती है। निर्धारित तिथि एवं समय पश्चात आवेदन आमामन्य रहेंगे। तथा विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम होगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक/एनएचएम/एचआर/2021/5835 भोपाल, दिनांक 01/04/2021 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा स्वीकृत अस्थाई मानव संसाधन को कार्य पर लेते समय कार्यादेशों में स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाये कि यह किसी भी प्रकार की शासकीय नियुक्ति नहीं है और ना ही इसके आधार पर कोई स्वत्व उत्पन्न होगा।

कोई भी कार्यादेश 89 दिवस से अधिक अवधि के एक बार में जारी नहीं किये जाये और यदि इन कार्यादेश को आगे बढ़ाना है तो उसकी निरंतरता में एक दिवस की अंतराल अवधि अनिवार्य रूप से रखी जाये। इसके पश्चात पदों के निरंतरता प्राप्त होने पर सेवा में वृद्धि की जावेगी। निम्नलिखित पदों की स्वीकृती दिनांक 31.05.2021 तक की अवधि के लिये प्राप्त हैं पदों की निरंतरता प्राप्त होने पर सेवा वृद्धि की जावेगी।

उक्त नियुक्तिया वॉक इन इंटरव्यूह कोविड-19 के तहत

सं.क्र.	पदनाम	मांग संख्या	योग्यता	मासिक मानदेय प्रतिमाह
01	1. एम.डी. मेडिसिन 2. एम.डी.एनेस्थिसिया 3. पॉलमोनोलॉजिस्ट	05 06 05	स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारी (डिग्री/डिप्लोमा) विषय विशेषज्ञ मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल में जीवित पंजीयन।	1,25,000 / – (डिग्री) 1,10,000 / – (डिप्लोमा) इसके अतिरिक्त कोविड-19 नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में विषय विशेषज्ञता के कारण इन्हे 100 प्रतिशत प्रोत्साहन (Incentives) राशि देय होगी।
02	चिकित्सा अधिकारी	09	एम.बी.बी.एस (मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय) एवं मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल में जीवित पंजीयन।	60,000 / –

उपरोक्तानुसार पदों के पूर्ति हेतु आरक्षण रोस्टर निम्नानुसार रहेगा।

पीजीएमओ / मेडिकल ऑफिसर के पद पर विज्ञप्ति जारी करते हुये वाक-इन-इंटरव्यूह के माध्यम से चयन किया जाना है।

सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों /संवर्गों के लिये आरक्षण रोस्टर

अनुसूचित जाति-16%, अनुसूचित जन जाति -20%, अन्य पिछड़ा वर्ग-27%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग - 10%

पदनाम	पद संख्या	आरक्षण रोस्टर				
		अनारक्षित	अनु.जाति	अ.ज.जा	अ.पि.व.	आ.रु.से.कम.वर्ग
एम.डी. मेडिसिन	05	02	01	01	01	-
एम.डी.एनेस्थिसिया	06	03	01	01	01	-
पॉलमोनोलॉजिस्ट	05	02	01	01	01	-
चिकित्सा अधिकारी	09	03	01	02	02	01

उक्त नियुक्तिया वॉक इन इंटरव्यूह कुछ आर्हतायें-

सेवा शर्तें:-

1. यह सेवाएँ पूर्ण रूप से अस्थायी होगी एवं आकस्मिक सेवाओं के रूप में ली जा रही है, अतः इन सेवाओं की नियमित अथवा संविदा सेवा के लिये किसी भी दशा में मान्य नहीं किया जावेगा।
2. यह सेवाएँ एक निश्चित समायावधि के लिए ली जा रही है, जिसे आवश्यकता होने पर बढ़ाया/घटाया जा सकेगा अतः निर्धारित अवधि पश्चात आदेश स्वतः समाप्त माना जावेगा।
3. उक्त मानव संसाधन की सेवाएँ चिकित्सा महाविद्यालय छिन्दवाड़ा अथवा COVID-19 Control Operation में ही ली जा सकेगी।
4. नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के उपरांत 05 दिवस में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयमेव निरस्त समझा जावेगा।
5. उक्त पदों के नियंत्रणकर्ता अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेंस, छिन्दवाड़ा होंगे।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेंस, छिन्दवाड़ा को समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं मेडिकल फिटनेस सार्टिफिकेट उपलब्ध कराकर कार्य दायित्व संभालेंगे।
7. नियुक्ति पश्चात कर्तव्य पर उपस्थिति दिनांक से दिनांक 31.05.2021 तक की अवधि के लिये अस्थायी नियुक्ति रहेगी। अर्थात 31 मई 2021 के पश्चात नियुक्ति स्वतः समाप्त रहेगी।
8. उपरोक्त नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु मद COVID-19 Temporary HR (B.31.3) से मानदेय विकलनीय होगा।
9. आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
10. 25 वर्ष से कम एवं 55 वर्ष से अधिक उम्र के आवेदक आवेदन प्रस्तुत न करे।

निरर्हतायें-

- विकृत चित्त वाला होने पर।
- दुश्चरित्र होने पर।
- शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
- नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा - किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।
- विवाह संबंधी - जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।
- कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
- कदाचरण संबंधी - किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
- ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
- स्वास्थ्य संबंधी - चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।

महत्वपूर्ण टीप - यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो कि आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन भोपाल के पत्र क्रमांक/आई.डी. एस.पी./2020/505, भोपाल दिनांक 20.04.2020 के द्वारा समस्त अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मध्यप्रदेश को कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु आवश्यक चिकित्सकीय सेवाओं के लिए जिला स्तर पर चिकित्सक/स्टॉफ नर्स/पैरामेडिकल स्टॉफ इत्यादि का अस्थायी रूप से आवश्यक मानव संसाधन सुनिश्चित करने हेतु शक्ति के प्रत्यायोजन प्रदान किये गये हैं।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिष्ठाता
छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस
छिन्दवाड़ा(M0प्र0)

अनुबंध पत्र

मैने अपना आवेदन दिनांक
के द्वारा की सेवायें हेतु छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल
साइंसेस, छिन्दवाड़ा म.प्र में प्रस्तुत किया। मैं स्वेच्छा से मानदेय
पर दिनांक तक अस्थायी रूप से तीन माह हेतु COVID-19 नियंत्रण ऑपरेशन
के लिए कार्य करने हेतु सहमत हूँ एवं अपनी सेवायें इस हेतु स्वेच्छा प्रदान कर रहा/रही हूँ। मुझे इस
हेतु दिया जाने वाला मासिक मानदेय स्वीकार है एवं दी गई समस्त सेवा शर्तें
मान्य एवं मेरे द्वारा नियोजन के संबंध में मानवीय न्यायालय में किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति
प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

सेवा शर्तें :-

01. यह सेवायें पूर्ण रूप से अस्थायी होगी एवं आकस्मिक सेवाओं के रूप में ली जा रही है, अतः इन सेवाओं की नियमित अथवा संविदा सेवा के लिये किसी भी दशा में मान्य नहीं किया जावेगा।
02. यह सेवायें एक निश्चित समायावधि के लिए ली जा रही है, जिसे आवश्यकता होने पर बढ़ाया/घटाया जा सकेगा अतः निर्धारित अवधि पश्चात् आदेश स्वतः समाप्त माना जावेगा।
03. उक्त मानव संसाधन की सेवायें चिकित्सा महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा अथवा COVID-19 Control Operation में ही ली जा सकेगी।
04. उक्त पदों के नियंत्रणकर्ता अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा म.प्र होंगे।
05. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा म.प्र को समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उपलब्ध कराकर कार्य दायित्व संभालेंगे।
06. नियुक्ति पश्चात कर्तव्य पर उपस्थिति दिनांक से दिनांक 31.05.2021 तक की अवधि के लिये अस्थायी नियुक्ति रहेगी। अर्थात् 31 मई 2021 के पश्चात नियुक्ति स्वतः समाप्त रहेगी।
07. अनुबंध के निष्पादन पर होने वाला व्यय संबंधित सेवा प्रदाता द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
08. यह किसी भी प्रकार की शासकीय नियुक्ति नहीं है और ना ही इसके आधार पर कोई स्वत्व उत्पन्न होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिष्ठाता
छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस
छिन्दवाड़ा(म0प्र0)

कार्यालय अधिष्ठाता
छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
E-mail – deanmedicalcollegehindwara@gmail.com


.....

आवेदन का प्रारूप

.....के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र

नोट: सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

1. आवेदक का नाम
2. पुरुष/महिला.....
3. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित).....
4. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित).....
.....
शहर का नाम..... फोन नं.....
मोबाइल नं.....ई-मेल आईडी.....
5. स्थाई पता.....
.....
शहर का नाम..... फोन नं.....
मोबाइल नं.....
6. आधार कार्ड नम्बर (हो तो) छायाप्रति संलग्न करें।.....
7. जन्मतिथि (हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें).....
8. दिनांक 01/01/2019 को आवेदक की आयु दिनमाहवर्ष
9. आवेदक की वैवाहिक स्थिति – विवाहित/अविवाहित
10. विवाह का दिनांक
11. वर्ग : अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग / विकलांग ...
.....(आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें)



12. मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक छायाप्रति संलग्न करें।

अ. (एम.बी.बी.एस.)- छायाप्रति संलग्न करें।

ब. एमडी/एमएस- छायाप्रति संलग्न करें।

स. एमसीएच/डीएम-छायाप्रति संलग्न करें।

13. शैक्षणिक योग्यताएँ:- (प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड / वि.वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक	एम.बी.बी.एस. के कुल प्राप्तांक/प्रतिशत	प्रयास (Attempt)	प्रतियोगी संलग्न करें
1	2	3	4	5	6	7		
1	MBBS First Prof.							
2	MBBS Second Prof.							
3	MBBS Final Part I							
4	MBBS Final Part II							
5	MD/MS/MCH/DM							
6	S.R.							

(प्रत्येक वर्ष का पृथक-पृथक भरे)

नोट: प्रत्येक परीक्षा के प्रयास (Attempt) प्रमाण पत्र अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त हो संलग्न करें।

14. शैक्षणिक अनुभव :-

क्रमांक	पदनाम	शैक्षणिक अनुभव	संस्था का नाम	अनुभव की प्रतियोगी संलग्न करें
1	प्राध्यापक			
2	सह प्राध्यापक			
3	सहायक प्राध्यापक			
4	ट्यूटर/प्रदर्शक			

चैक लिस्ट (आवेदक प्रति/पावती)

1. आवेदन फार्म।
2. फोटो।
3. MBBS First Prof. छायाप्रति संलग्न करें।
4. MBBS Second Prof. छायाप्रति संलग्न करें।
5. MBBS Final Part I छायाप्रति संलग्न करें।
6. MBBS Final Part II छायाप्रति संलग्न करें।
7. MD/MS/MCH/DM छायाप्रति संलग्न करें।
8. S.R. छायाप्रति संलग्न करें।
9. आधार कार्ड प्रति संलग्न करें।
10. हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची छायाप्रति संलग्न करें।
11. जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
12. मेडिकल कॉउंसिल का पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करें।

हस्ताक्षर.....

दिनांक / /